**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**RAJYA SABHA**

**UNSTARRED QUESTION No. 258**

**TO BE ANSWERED ON TUESDAY, THE 1ST DECEMBER, 2015**

 **10, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)**

**APPLICATION OF MAT TO FOREIGN COMPANIES**

**258. SHRI A.W. RABI:**

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) whether Government has announced that the controversial Minimum Alternate Tax (MAT) will not apply to foreign companies that do not have a permanent establishment or a place of business in India, putting to rest another tax issue;

 (b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government will amend the Income Tax Act, 1961 retrospectively from April, 2001 to give effect to this decision and ensure that past cases are not opened;

(d) if so, the details thereof; and

(e) whether the move would boost confidence among foreign investors, if so, the details thereof?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**

**(SHRI JAYANT SINHA)**

1. to (e) The Government has decided that with effect from 01.04.2001 the provisions of section 115JB of Income-tax Act, 1961 relating to Minimum Alternate Tax (MAT) shall not be applicable to a foreign company if-
2. the foreign company is a resident of a country having a Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with India and such foreign company does not have a permanent establishment within the definition of the term in the relevant DTAA, or
3. the foreign company is a resident of a country which does not have a DTAA with India and such foreign company is not required to seek registration under section 592 of the Companies Act, 1956 or section 380 of the Companies Act, 2013.

An appropriate legislative amendment to the Income-tax Act, 1961 is proposed to be carried out through Finance Bill, 2016.

This move will bring clarity and certainty on the issue of applicability of MAT to foreign companies.

-----------

**भारत सरकार**

वित्‍त मंत्रालयराजस्‍व विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 258**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 1 दिसम्‍बर, 2015 / 10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**विदेशी कंपनियों पर एमएटी लागू करना**

**258. श्री ए. विलियम रवि बर्नार्ड:**

 क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने यह घोषणा की है कि विवादित न्‍यूनतम वैकल्‍पिक कर (एमएटी) उन विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनका भारत में स्‍थायी प्रतिष्‍ठान नहीं है या व्‍यवसाय हेतु, स्‍थान नहीं है, जिससे कर का एक और मुद्दा शांत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में भूतलक्षी प्रभाव अप्रैल, 2001 से संशोधन करेगी तथा यह सुनिश्‍चित करेगी कि पिछले मामलों को न खोला जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) क्‍या इस प्रयास से विदेशी निवेशकों का विश्‍वास बढ़ेगा, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) से (ड.) सरकार ने निर्णय लिया है कि 1/4/2001 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115ञख के प्रावधान, जो कि न्‍यूनतम वैकल्‍पिक कर (एमएटी) से संबंधित हैं, ऐसी किसी विदेशी कंपनी पर लागू नहीं होंगे यदि –

(i) यदि ऐसी कंपनी जो किसी ऐसे देश की निवासी है जिसका भारत के साथ दोहरा कराधान परिहार करार (डीटीएए) हुआ है और ऐसी विदेशी कंपनी का संगत डीटीएए में दी गई परिभाषा के अंतर्गत कोई स्‍थाई उपक्रम नहीं है, या

(ii) ऐसी विदेशी कंपनी जो किसी ऐसे देश की निवासी है जिसका भारत के साथ डीटीएए करार नहीं है और ऐसी विदेशी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 592 या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 380 के अंतर्गत पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

वित्‍त विधेयक, 2016 के माध्‍यम से आयकर अधिनियम, 1961 में एक यथोचित विधायी संशोधन किए जाने का प्रस्‍ताव किया गया है।

इस तरह के प्रयासों से विदेशी कंपनियों पर एमएटी की प्रयोज्‍यता के विषय में स्‍पष्‍टता और

सुनिश्‍चिता लाई जा सकेगी।